

फा.सं. 7/112/2011-बीओए

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

वित्तीय सेवाएं विभाग

जीवन दीप भवन,
संसद मार्ग, नई दिल्ली,
01 जनवरी, 2013

सेवा में,

मुख्य कार्यपालक,
भारतीय बैंक संघ (आईबीए),
मुम्बई।

विषय: साख पत्र और बैंक गारन्टी सुविधाओं की मंजूरी एवं निगरानी में प्रणालीगत खामियों को दूर करने के लिए सर्वोत्तम प्रथाओं का प्रारूप।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषय का संदर्भ लें। इस संबंध में साख पत्र और बैंक गारन्टी सुविधाओं की मंजूरी एवं निगरानी में प्रणालीगत खामियों को दूर करने के लिए सर्वोत्तम प्रथाओं का प्रारूप आईबीए, सरकारी क्षेत्र के बैंकों और इस क्षेत्र के विशेषज्ञों (सर्वोत्तम प्रथाओं के प्रारूप की प्रति संलग्न है) से परामर्श करके तैयार किया गया है।

2. आपसे अनुरोध है कि विचारार्थ एवं अपनाए जाने के लिए सर्वोत्तम प्रथाओं के प्रारूप को सभी बैंकों में परिचालित करें। आप बैंकों में इन सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाए जाने की निगरानी करें और इसकी स्थिति से इस विभाग को अवगत कराएं।

भवदीय,

(प्रवीण रावल)

उप सचिव, भारत सरकार

दूरभाष: 011-23748874

ई-मेल: dirboa-dfs@nic.in, boa@nic.in

संलग्नक: यथोक्त

सरकारी क्षेत्र के सभी मुख्य कार्यपालक अधिकारियों को इस अनुरोध के साथ प्रति प्रेषित कि वे इन सर्वोत्तम प्रथाओं के प्रारूप को अपने बोर्ड के समक्ष विचारार्थ एवं अपनाए जाने हेतु अपनी अगली बोर्ड बैठक में इस विभाग को सूचित करते हुए प्रस्तुत करें।

**साख-पत्र (LC) एवं बैंक गारंटी(BG) सुविधाओं की मंजूरी
एवं निगरानी की सर्वश्रेष्ठ प्रक्रिया संबंधी प्रारूप**

1. परिचय :

पिछले 5 वर्षों के दौरान साखपत्र एवं बैंक गारंटी संबंधी कारोबार के क्षेत्र में बहुस्तरीय वृद्धि हुई है। चूंकि दोनों सुविधाएं वस्तुतः कम लागत वाली गैर फंड आधारित ऋण सुविधाएं हैं। बैंकों द्वारा प्रदान की जाने वाली इन सुविधाओं को इस दृष्टिकोण से भी अधिक स्वीकारा गया है चूंकि दोनों ही सुविधाओं में प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता प्रदान किए बिना ही फीस आधारित अच्छी आय की प्राप्ति होती है। यह पाया गया है कि गैर फंड आधारित होने के कारण काफी समय से बैंकिंग क्षेत्र द्वारा इन सुविधाओं की मॉनिटरिंग पर कोई ध्यान नहीं दिया गया है। तथापि, कारोबार के क्षेत्र में गिरते स्तर को देखते हुए अब इस क्षेत्र में ध्यान दिए जाने की आवश्यकता महसूस की गयी है। इसके अलावा, यह भी पाया गया है कि अधिक राशि वाले साख-पत्र एवं बैंक गारंटियों संबंधी कारोबार में एन.पी.ए. की स्थिति भी पैदा हो गयी है। इस पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में अपनायी जा रही प्रक्रिया एवं प्रणाली का विश्लेषण किया गया है तथा साख-पत्र व बैंक गारंटी के कारोबार को जोखिम रहित बनाने के प्रयोग से अपनायी जाने वाली सर्वश्रेष्ठ प्रक्रिया हेतु निम्नलिखित सुझाव दिए गए हैं।

2. पृष्ठभूमि :

बैंकों द्वारा साख-पत्र एवं बैंक गारंटी की मंजूरी एवं निगरानी हेतु एक निर्धारित प्रक्रिया अपनायी जाती है। सामान्यतया, इस प्रक्रिया में कैश मार्जिन, प्राइमरी प्रतिभूति, संपांश्विक प्रतिभूति, क्रेडिट रेटिंग, अधिकारों का प्रत्यायोजन, मंजूरीपूर्व अनुपालन, मंजूरीपश्चात् अनुपालन इत्यादि मानदण्डों को पूरा किया जाता है।

- इसके अलावा, समय-समय पर निरीक्षण, स्टॉक ऑडिट इत्यादि को शामिल करते हुए निगरानी प्रक्रिया को अपनाया जाता है।
- भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी दिशानिर्देशों एवं परिपत्रों में दिए गए अनुदेशों का अनुपालन किया जाता है।

- उक्त के अलावा, यह भी पाया गया है कि कई बार कारोबार बढ़ाने/बैंक के पास कारोबार लाने के उद्देश्य से कम कैश मार्जिन, कम प्रतिभूतियों एवं उच्च ऋण इक्विटी पर भी मंजूरी शर्तों में कुछ ढिलाई दी जाती है।
- इसके अलावा, यह भी पाया गया है कि गैर फंड आधारित कारोबार होने के कारण साख-पत्र एवं बैंक गारंटी के क्षेत्र में अपेक्षित ध्यान/महत्व नहीं दिया जाता है। तथापि, फंड आधारित सुविधाओं की तुलना में इस क्षेत्र में भी विशेष ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है चूंकि इसमें प्रतिभूतियों ली गयी हैं अथवा प्रतिभूतियां कम है, यह दिया नहीं रहता।
- यहां तक कि, झूठे इन्वेन्टरी आंकड़ों, इन्व्यासिस, वित्तीय खातों इत्यादि द्वारा की गयी धोखाधड़ी के मामलों का भी समय पर पता नहीं लगाया जाता।

इस पृष्ठभूमि में साख-पत्र एवं बैंक गारंटी की मंजूरी एवं निगरानी की सर्वश्रेष्ठ प्रक्रिया हेतु निम्नलिखित प्रणालीगत सुधार सुझाए गये हैं।

3. ऋण प्रस्तावों पर मंजूरी के दौरान प्रणालीगण सुधार

3.1 ऋण इक्विटी : सामान्यतया, सावधि ऋणों के मामले में 2.1 के ऋण इक्विटी अनुपात का अनुपालन किया जाता है। चल पूंजी फंड के मामले में ए.एन.डब्ल्यू के समक्ष टी.ओ.एल. (Total Out-side Liabilities to Adjusted Net Worth) का अनुपात 4.0 देखा जाता है।

सके अलावा गैर फंड आधारित साख-पत्र एवं बैंक गारंटी ऋण सीमा के संदर्भ में अलग-अलग मामलों में ए.एन.डब्ल्यू के समक्ष टी.ओ.एल. के 10 गुणा तक भी विचार किया जाता है। ट्रेडिंग कम्पनियों, विनिर्माण कंपनियों इत्यादि के मामलों में ए.एन.डब्ल्यू के समक्ष उच्चतर टी.ओ.एल. पर विचार किया जाता है। इसके अलावा, यह भी पाया गया है कि कुछ बैंकों ने ट्रेडिंग कम्पनियों के मामले में ए.एन.डब्ल्यू के समक्ष टी.ओ.एल. के 30 से भी अधिक अनुपात पर विचार किया गया है। अतः यह अनिवार्य है कि ग्रुप कम्पनियों के अधिक कारोबार को जोखिम रहित बनाने के प्रयोजन में टी.एन.डब्ल्यू की बजाय ए.एन.डब्ल्यू को लिया जाए।

यह सुझाव है कि विनिर्माण/पैक्टिस करने वाली यूनिटों के लिए टी.ओ.एल./ए.एन.डब्ल्यू की निर्धारित दर 3.1 से 4.1 तथा ट्रेड/सेवा वाले खातों में 5.1 से 6.1 कर दी जाए। इनमें चल पूंजी फंडिंग वाले मामले यथा एल.सी. (आई.एल.सी. एवं एफ.एल.सी. दोनो), बी.जी., पी.बी.जी. तथा फंड आधारित ऋण सीमा हेतु (Sub-Cap Sub-Cal) वाले खाते शामिल हैं। बैंकों को अपने वर्तमान कारोबार को विनियमित करने के प्रयोजन से 6 माह की समय अवधि दी जाए।

यह भी सुझाव है कि उक्त ऋण सीमा पर विचार करते समय ऋणी द्वारा प्राप्त की जा रही क्रेता ऋण सुविधाओं की भी बैंकों द्वारा सतत् निगरानी की जाए।

3.2 एमपीबीएफ (अधिकतम अनुमेय बैंक वित्त): यह पाया गया है कि कुछ बैंकों द्वारा चल पूंजी ऋण सीमा से ऊपर की राशि हेतु साख-पत्र एवं बैंक गारंटियाँ जारी की जा रही है। यहां तक कि, एम.पी.बी.एफ के मूल्यांकन के समय साख-पत्र एवं बैंक गारंटियों के समक्ष लिये जाने वाले कैश मार्जिन को चालू परिसम्पतियों के रूप में लिया जाता है। वास्तव में, इस प्रकार के वित्तपोषण से वित्तपोषण में दोहराव से होता है। परिणामस्वरूप, ऋणकर्ताओं के बीच अनुशासनहीनता का संदेश जाता है।

यह सुझाव दिया जाता है कि चल पूंजीगत अपेक्षाओं के संबंध में साख-पत्र एवं एफ.बी.जी. ऋण सीमा एम.पी.बी.एफ मूल्यांकन के अनुसार पूंजीगत ऋण सीमा से अधिक न हो। इसके अलावा, साख-पत्र एवं एफ.बी.जी. के समक्ष दिया जाने वाला मार्जिन फंड आधारित पूंजीगत ऋण सीमा के फंड के माध्यम से न हो। बिड-बान्ड परफारमेंस गारंटी के मामलों में ध्यानपूर्वक जोखिम के मूल्यांकन की प्रक्रिया को भी अपनाया जाए। इसके लिए, पृथक मार्जिनमनी की अपेक्षाओं को पूरा करने के साथ ही साथ अलग से प्रतिभूति लिये जाने को भी सुनिश्चित किया जाए। यहां तक कि, चल पूंजीगत सुविधाएं प्राप्त कर न रहे ग्राहकों को ऐसी सुविधाएं न प्रदान की जाएं। नये प्रतियोगी आई.डी.आई. बैंक के मामले में कुछ सीमा तक छूट दी जाए।

3.3 कान्सोरटियम (Consortium) ऋण सुविधा : यह पाया गया है कि बैंकों द्वारा कान्सोरटियम लेंडिंग के मामले में भी बहुविध बैंकिंग आधार पर चल-पूंजी से अधिक साख-पत्र, बी.जी. सुविधाएं प्रदान की जा रही है जिससे ऋणियों के बीच अनुशासनहीनता का संदेश जाता है।

यह सुझाव है कि कान्सोरटियम चल पूंजी से अधिक साख-पत्र, बी.जी. एवं पी.बी.जी. सुविधाएं प्रदान न की जाए तथा इन मामलों में फंड आधारित ऋण सुविधाओं के सम्बन्ध में भी अनुपातिक प्रक्रिया को ध्यान में रखा जाए।

3.4 आहरण शक्ति (डी.पी.) का परिकलन : यह पाया गया है कि कई बार कुछ बैंकों द्वारा नकदी ऋण सुविधा हेतु आहरण सीमा का परिकलन करते समय प्राप्त स्टॉक के मूल्य एवं बेचे गए ऐसे स्टॉक की खरीद पर देनदारी को घटाया नहीं जाता।

यह सुझाव है कि नकद ऋण में आहरण सीमा का परिकलन करते समय प्राप्त स्टॉक के मूल्य तथा ऐसे स्टॉक की देनदारी एवं स्टॉक पर बकाया ऋणियों की स्थिति को भी घटाया जाए ।

3.5 केवल गैर फंड आधारित ऋण प्रदान करना : यह पाया गया है कि बैंकों द्वारा फंड आधारित चल पूंजीगत ऋण सुविधा प्रदान किए बिना ही गैर फंड आधारित ऋण सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं जिसके परिणामस्वरूप चल पूंजीगत परिचालनों एवं नकदी प्रवाह के अधिग्रहण न होने की स्थिति की निगरानी नहीं हो पाती ।

यह सुझाव है कि बैंक फंड आधारित चलपूंजीगत ऋण सुविधा प्रदान किए बिना ही गैर फंड आधारित ऋण सुविधा न प्रदान करे । नए प्रतियोगी के रूप में आईडीबीआई बैंक को कुछ समयावधि के लिए विशेष छूट दी जाए ।

3.6 ऋण सीमा प्रदान करना : यह पाया गया है कि बैंक बोर्ड स्तर की समितियों से अनुमोदन प्राप्त कर साख-पत्र एवं बैंक गारंटियों संबंधी सुविधा प्रदान करते समय निरन्तर बोर्ड द्वारा तय किए मानदण्डों के तहत कम्पनियों एवं ग्रुप को प्रदान की जाने वाली ऋण सीमा से अधिक ऋण सुविधाएं प्रदान कर रहे हैं ।

निर्धारित मानदण्डों का सतत् उल्लंघन वस्तुतः अच्छे संचालन के नियमों के विरुद्ध है अतः, यह सुझाव है कि निरन्तर निर्धारित मानदण्डों के उल्लंघन की स्थिति से बचा जाए ।

3.7 समकक्ष समीक्षा : यह पाया गया है कि कई बार बैंकों द्वारा ऋण मूल्यांकन प्रक्रिया में प्रतियोगी की वित्तीय स्थिति यथा पूंजीगत उपयोगता का % ईबीआईडी % पीएटी % चल पूंजीगत टनओवर अनुपात, वर्तमान अनुपात, ऋण इक्विटी, ए.एन.डब्ल्यू के समक्ष टी.ओ.एल. इत्यादि की समीक्षा नहीं की जाती है । परिणामस्वरूप समान कारोबार में अन्य यूनिटों की तुलना में अत्यधिक ऋण सीमा मंजूर कर दी जाती है ।

यह सुझाव है कि ऋण मूल्यांकन प्रक्रिया में समकक्ष समीक्षा अवश्य रूप से की जाए । समीक्षा पूर्व की स्थिति के दौरान अन्य अनुपातों की तुलना में कार्यनिष्पादन अनुपात, चल पूंजीगत सुविधाएं, टी.ओ.एल/ए.एन.डब्ल्यू, टर्नओवर, ईबीआईडीटी % इत्यादि को भी ध्यान में रखा जाए ।

3.8 मंजूरी पूर्व निरीक्षण : यह पाया गया है कि मंजूरी पूर्व निरीक्षण प्रक्रिया की कोई सरंचनागत प्रक्रिया नहीं है । कुछ मंजूरी पूर्व निरीक्षण रिपोर्टों में केवल प्रशासनिक कार्यालयों के दौरे ही शामिल हैं । प्रत्यक्ष रूप से निरीक्षण न किए जाने की स्थिति में किन्ही अनिवार्य मदों का सत्यापन न होने पर नये प्रस्तावों/ऋण की मंजूरी/ऋण सुविधाओं के नवीकरण के समय झूठे आंकड़ों का पता नहीं चलता ।

यह सुझाव है कि मंजूरी पूर्व निरीक्षण प्रक्रिया की सरंचनागत व्यवस्था को लागू किया जाए जिसमें संगठनात्मक ढांचे, बोर्ड गर्वनेंस, आंतरिक नियन्त्रण एवं आंतरिक लेखा परीक्षा प्रणाली, स्टॉक एवं देनदारों के सत्यापन, आंतरिक कार्यनिष्पादन निगरानी एवं प्रबंधन सूचना प्रणाली, बजट प्रणाली इत्यादि को कवर किया जाए। इसके अलावा एफ.एल.सी. मंजूरी के मामलों में समुचित ट्रेजरी एवं फोरेक्स बचाव प्रणाली सुनिश्चित की जाए। सभी विदेशी कारोबार के क्षेत्र में भी बचाव प्रणाली अनिवार्य हो अन्यथा स्वाभाविक बचाव होगा।

3.9 साख-पत्र एवं बैंक गारंटी की निगरानी प्रणाली : यह पाया गया है कि बैंकिंग प्रणाली में साख-पत्र (आईएलसी एवं एफएलसी दोनों में) के मामलों में कोई पृथक निगरानी प्रणाली नहीं है। साख-पत्र खोलने, वस्तुओं/स्टॉक प्राप्त करने/साख-पत्र के तहत सेवाएं प्रदान करने एवं भुगतान करने जैसे पूरी प्रक्रिया संबंधी लेन-देन में चालू/ओसीसी खाते की निधियों पर कोई निगरानी नहीं की जाती। परिणामस्वरूप, समुचित निगरानी के अभाव में बेइमान ऋणी भयरहित बच जाते हैं।

यह सुझाव दिया जाता है कि ऋणी से प्रत्येक तिमाही में विधिवत प्रमाणित आईएलसी, एफएलसी एवं बीजी पर तिमाही रिपोर्ट प्राप्त की जाए तथा संबंधित ऋणी के चालू/ओसीसी खाते से हुए लेन-देन का जांच की जाए। इसके अलावा, बैंकों को एक ऐसा साफ्टवेयर विकसित करने का प्रयास करना चाहिए जिसमें ऋणी से प्राप्त रिपोर्टों को चालू खाते के लेन-देन से मिलाकर जांचा जा सके। यदि एक बार ऐसा साफ्टवेयर विकसित हो जाता है तो बैंक ऐसी रिपोर्ट की साफ्ट प्रति भी प्राप्त कर सकते हैं तथा आईएससी, एफएलसी एवं बीजी की निगरानी भी साफ्टवेयर के माध्यम से की जा सकती है। तिमाही रिपोर्ट का नमूना सलंगन है। इसके अलावा, साख-पत्र के निरन्तर साख-पत्र का अंतरण (**devolement**) पर भी सतत निगरानी रखी जाए एवं घटक बैंकों को भी सूचित किया जाए।

3.10 समय-समय पर प्रत्यक्ष निरीक्षण : यह पाया गया है कि अधिकारियों द्वारा समय-समय पर किए जाने वाले प्रत्यक्ष निरीक्षण में स्टॉक का सत्यापन एवं स्टॉक की देनदारी की स्थिति/साख-पत्र के समक्ष प्राप्त सेवाओं इत्यादि को शामिल नहीं किया जाता है। इसी तरह से साख पत्र के लेन-देन से संबंधित जानकारी को भी टेस्ट चेक के आधार पर पर्याप्त महत्व नहीं दिया जाता है। परिणामस्वरूप साख-पत्र सुविधा की संपूर्ण प्रक्रिया गैर निगरानी वाली ही रह जाती है।

यह सुझाव है कि समय-समय पर प्रत्यक्ष सरंचनागत आधार पर प्रत्यक्ष निरीक्षण किया जाए। इसके साथ-साथ शाखा द्वारा जारी साख-पत्र के समक्ष स्टॉक का निरीक्षण स्टॉक के देनदारों/साख-पत्र के तहत प्राप्त सेवाओं इत्यादि की जांच की जाए। इसके अलावा लेन-देन, वस्तुओं को, इधर-उधर ले जाने, उसकी

गुणवत्ता तथा संबंधित ग्राहकों की स्थिति को शामिल करते हुए पर्याप्त महत्व दिया जाए। निरीक्षण के दौरान वर्तमान वित्तीय विवरण प्राप्त किया जाए एवं स्टॉक एवं देनदारों की स्थिति की जांच की जाए।

3.11 स्टॉक लेखा परीक्षा : यह पाया गया है कि साख पत्र सुविधाएँ स्टॉक लेखा परीक्षाओं के अंतर्गत शामिल नहीं है।

यह सुझाव दिया जाता है कि साख पत्र सुविधाओं को बैंकों की नियमित लेखा परीक्षा प्रक्रिया के अंतर्गत लाया जाए।

3.12 कार्यनिष्पादन बैंक गारंटियाँ (पीबीजी): यह पाया गया है कि संरचना परियोजनाओं में तेजी आने के फलस्वरूप उनकी गतिविधियों में हाल की अभिवृद्धि के कारण बैंक कार्य निष्पादन गारंटियों बड़ी मात्रा में प्रदान कर रहे हैं। इसके अलावा, बैंकों द्वारा जारी कार्यनिष्पादन बैंक गारंटियों के लिए कोई संरचित अनुप्रवर्तन प्रणाली नहीं है। कार्यनिष्पादन गारंटियों के अंतर्गत आवधिक रिपोर्टिंग और परियोजनाओं की निगरानी के अभाव में बैंकों को अकस्मात कार्यनिष्पादन बैंक गारंटियों के अंतर्गत भुगतान बाध्यता की जोखिम उठानी पड़ती है।

यह सुझाव दिया जाता है कि बैंकों को कार्यनिष्पादन बैंक गारंटियों की स्वीकृति एवं अनुप्रवर्तन प्रक्रिया को सुदृढ़ बनाने के लिए निम्न प्रणाली का कार्यान्वयन करना चाहिये।

3.12 क) मूल्यांकन/स्वीकृति के समय पूर्वापाय:

कार्यनिष्पादन बैंक गारंटी सहायता के अंतर्गत प्रस्तावों पर विचार करते समय निम्न अतिरिक्त पूर्वापाय को अपनाया चाहिए।

- 1) निर्धारित समय के भीतर कार्यनिष्पादित करने की उधारकर्ता की क्षमता और योग्यता का गहन रूप से परीक्षण किया जाना चाहिए।
- 2) परियोजना को पूरा करने के लिए लक्ष्य निर्धारित किए जाने चाहिए और परिणामस्वरूप यदि व्यक्तिगत की स्थिति (ईओडी) हो तो मार्जिन और कमीशन दर के लचीलेपन को परिवर्तित करने हेतु निबंधन और शर्तें भी निर्धारित की जानी चाहिए।
- 3) प्रणाली में व्यक्तिगत की स्थिति (ईओडी) के संबंध में सतर्कता बिन्दु का प्रारम्भ किया जाना चाहिये।
- 4) कार्यनिष्पादन बैंक गारंटियाँ जारी करने हेतु एक अलग सीमा/उप-सीमा स्वीकृत की जानी चाहिए।
- 5) यदि कार्यनिष्पादन बैंक गारंटियों में विदेशी विनिमय तत्व की परिकल्पना की गई हो तो उधारकर्ता द्वारा विदेशी विनिमय जोखिम को वहन करने के संबंध में शर्त निर्धारित की जानी चाहिए।
- 6) परियोजना की स्थिति के संबंध में, जिसके लिए कार्यनिष्पादन बैंक गारंटी जारी की गई है, आवधिक समीक्षा के प्रस्तुतीकरण के संबंध में शर्त निर्धारित की जानी चाहिए।

3.12 ख) प्रस्तावित अनुप्रवर्तन प्रणाली:

कार्यनिष्पादन बैंक गारंटी सहायता के साथ जुड़ी जोखिम को ध्यान में रखते हुए, यह सुझाव दिया जाता है कि निम्न अतिरिक्त उपायों के माध्यम से अनुप्रवर्तन प्रणाली को सुदृढ़ किया जाए, जो 1 वर्ष से अधिक अवधि की रु 5 करोड़ से अधिक कार्यनिष्पादन बैंक गारंटी के लिए लागू रहगी।

- 1) कार्यनिष्पादन बैंक गारंटियों के अंतर्गत परियोजनाओं का परिकल्पित लक्ष्यों के

संबंध में अनुप्रवर्तक किया जाए और संबन्धित संपर्क समूहों द्वारा उनकी तिमाही आधार पर समीक्षा की जाए।

- 2) संपर्क समूहों द्वारा परियोजना स्थल का आवधिक रूप से की गई वास्तविक प्रगति के सत्यापन हेतु दौरा किया जाना चाहिए।
- 3) संपर्क समूहों द्वारा प्राप्त लक्ष्य, किए गए कार्य की गुणवत्ता आदि के संबंध में हितग्राहियों के साथ विचार-विमर्श किया जाना चाहिए।
- 4) यदि भौतिक प्रगति में लक्ष्य प्राप्त न किए गए हों तो, सुधारात्मक उपायों के लिए सतर्कता बिन्दु जारी कर व्यक्तिगत कार्यक्रम के प्रसंग (ईओडी) के अंतर्गत कारवाई की जाए।
- 5) बिल गारंटियों से कार्यनिष्पादन बैंक गारंटियों में अंतर परिवर्तन की अनुमति केवल चयनित आधार पर दी जानी चाहिए।
- 6) संबन्धित प्राधिकारी को वार्षिक ऋण समीक्षा प्रस्तुत करते समय कार्यनिष्पादन बैंक गारंटी के अंतर्गत प्राप्त लक्ष्यों के संबंध में परियोजनावार जोखिम विश्लेषण के साथ परियोजनाओं की स्थिति के संबंध में विशेष उल्लेख किया जाना चाहिए।

4.उपरोक्त प्रस्तावित प्रणालियों का विचार बैंकों द्वारा अनुसरण की जा रही विद्यमान प्रणालियों के लिए अनुपूरक के रूप में किया जये।

बैंकों को यथाशीघ्र अपनी विद्यमान प्रणालियों में उक्त सुनियोजित सुधारों से तालमेल बिठाने के लिए प्रयास करना चाहिए।